जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बनाम

धनंजय कुमार शुक्ला एवं अन्य

7 दिसंबर, 2007

(एस.बी. सिन्हा और जी.एस. सिंघवी, जे.जे.)

सेवा कानूनः

उत्तरप्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल *(*जूनियर हाई स्कूल*)* *(*शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें*)* नियम*, 1978*

नि*. 6*- प्रधानाध्यापक की नियुक्ति-अयोग्यता-पुत्र होना विद्यालय के प्रबंधक- प्रतिपादितः प्रबंधक का अस्थायी अवधि के लिए छुट्टी पर होने के कारण स्कूल का प्रबंधक बनना बंद नहीं हुआ- वह अवकाश पर चला गया केवल वैधानिक प्रावधान को विफल करने के लिए- ऐसा कृत्य प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है-चाहे कानून में हो या साम्यता में, ऐसी नियुक्ति जारी रखना पूरी तरह से अनुचित है- साम्यता।

सिविल प्रक्रिया संहिता*, 1908:*

आदेश *8* नियम *5* - लिखित विवरण दाखिल न करना- प्रभाव- प्रतिपादितः संहिता में निहित अभिवचन के नियमों में कानून का प्रश्न शामिल नहीं है। अंतर्गत आदेश *08* नियम *5*- लिखित कथन दाखिल नहीं

करने के बावजूद न्यायालय वादी को अपना मामला साबित करने के लिए यह कह सकता है- कानून के विपरीत उच्च न्यायालय के द्वारा कोई राहत संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में नहीं दी जा सकती-उत्तरप्रदेश ने बेसिक स्कूल *(*जूनियर हाई स्कूल*) (*शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें*)* नियम*, 1978* नियम *6* को मान्यता दी- भारतीय संविधान-अनुच्छेद *226*- साक्ष्य अधिनियम*, 1872*- धा*. 56*

प्रधानाध्यापक के पद के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय जारी विज्ञापन के जवाब में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रधानाध्यापक के पद की भर्ती उत्तरप्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 नियम 6 के द्वारा नियंत्रित की गई थी। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधन के सदस्य से संबंधित व्यक्ति को प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता जो कि विद्यालय के प्रबंधक थे, ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से चिकित्सीय आधारों पर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उप प्रबंधक को यह कहते हुए प्रभार सौंप दिया कि वह प्रबंधक के पद पर प्रभार व जिम्मेदारी लगभग दो महीने बाद फिर से शुरू करेंगे। इस बीच प्रत्यर्थी सं. 01 को तदर्थ आधार पर नियुक्ति दी गई। उसने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अपनी सेवाओं को जारी रखने और अपने वेतन का दावा करने में राहत की

मांग की। चूंकि अपीलार्थी-अधिकारियों ने रिट याचिका में कोई जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया, अंततः इसकी अनुमति दी गई और अपीलार्थी अधिकारियों के द्वारा दायर की गई विशेष अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज की गई कि अपीलार्थी के द्वारा जवाबी हल्फनामा रिट याचिका में दाखिल नहीं किया गया, इसलिए आदेश 8 नियम 5 सी.पी.सी. के सिद्धांत लागू होंगे और इस प्रकार रिट याचिका में दिए गए कथनों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। इससे व्यथित होकर, शिक्षा विभाग ने यह अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 5 में अंतर्निहित सिद्धांत (यह मानते हुए कि सी.पी.सी. के प्रावधान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा सी.पी.सी. की धारा 141 के बावजूद बनाए गए उच्च न्यायालय नियमों के संदर्भ में लागू होते हैं) यह स्पष्ट करता है कि ना केवल लिखित कथन दाखिल नहीं करने के बावजूद न्यायालय वादी को अपना मामला साबित करने के लिए कह सकता है, बल्कि कोई संदेह भी नहीं हो सकता, कि उच्च न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कोई राहत विधि के विरूद्ध नहीं दी जा सकती है। [पैरा 12] [977-सी-डी]

1.2 प्रत्यर्थी के पिता अस्थाई अवधि के लिए अवकाश पर थे। इस प्रकार वे स्कूल के प्रबंधक बने रहने से बंद नहीं हुए। यह स्पष्ट है कि वह केवल वैधानिक प्रावधानों को विफल करने के लिए अवकाश पर गए थे। इस तरह के कृत्य प्रशासन के साथ धोखाधड़ी के समान है। प्रत्यर्थी सं. 1 की नियुक्ति, नियम 6 में निहित अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होकर निरर्थक थी, इसलिए अपीलार्थी के द्वारा केवल जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किए जाने के कारण वैध होने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। [पैरा 13 और 14] [977-ई-एफ-एच; 978 ए]

1.3 रिट याचिका में समाहित प्रश्न विधि का प्रश्न था। सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित अभिवचन के नियम, विधि के प्रश्नों को शामिल नहीं करते हैं। इस मामले में मूलभूत तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। यदि कोई तथ्य स्वीकार किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के संदर्भ में इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसलिए कि इस तरह का प्रश्न कथित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पहले नहीं उठाया गया था, यह न्यायालय विधिक स्थिति पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चाहे विधि या साम्यता में, प्रत्यर्थी सं. 01 को प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित होगा। [पैरा 13 और 15] [977-एफ-जी; 978-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5773/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एस.ए.सं. 1426/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.12.2005 से।

श्रीश केआर. मिश्रा, गर्वेश काबरा और निरंजना सिंह याचिकाकर्ता की ओर से

डॉ. जे.एन. दुबे, अनुराग दुबे, मीनेश दुबे और मोहन पांडे प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी सं. 1 को एक मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती उत्तरप्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती है। उक्त नियमों के नियम 6 में लिखा हैः

> "6 अयोग्यता- (1) प्रबंधन के किसी भी सदस्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति को संबंधित माना जाएगा- यदि वह ऐसे सदस्यों से निम्नलिखित में किसी एक तरीके से संबंधि है, अर्थात्-

(1) पिता या माता

(2) दादा, दादी

(3) ससुर, सास

(4) चाचा, चाची, मामा, मामी

(5) बेटा, बेटी, दामाद, बहू

(6) भाई, बहन

(7) पोता, पोती

(8) पति, पत्नी

(9) भतीजा, भतीजी

(10) चचेरे

(11) पत्नी का भाई या पत्नी की बहन, पत्नी के भाई की पत्नी, बहन का पति

(12) भाई या चचेरे भाई की पत्नी

3. जनता आदर्श माध्यमिक विद्यालय, नेवाड़ा खुर्द, कलां, इटावा में परस्पर प्रधानाध्यापक का पद खाली हो गया था। इसके लिए उक्त

विद्यालय के प्रबंधक द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। कथित तौर पर उक्त विज्ञापन के जवाब में प्रत्यर्थी सं. 01 ने उसकी नियुक्ति के प्रार्थना करते हुए स्कूल के प्रबंधक के सामने एक आवेदन दायर किया। प्रबंधक ने दिनांकित 18.08.1998 के एक पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, इटावा से इसकी मंजूरी मागी।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता, जो संबंधित तिथि पर उक्त विद्यालय के प्रबंधक थे, उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष से यह कहते हुए अवकाश मांगा कि:

> "सादर निवेदन है कि आवेदक के घुटने में अपरिहार्य दर्द प्रतीत होता है। जिसके कारण उसे चलने-फिरने में काफी कठिनाई हो रही है। जब तक आवेदक शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक उप प्रबंधक श्री ओम नारायण तिवारी आवेदक पद का कार्यभार एवं उत्तरदायित्व संभालेंगे। स्वस्थ होने के बाद आवेदक पुनः प्रबंधक का पद का कार्यभार ग्रहण करेगा और कार्य करेगा। आवेदक को स्वस्थ होने में लगभग दो महीने का समय लग सकता है।"

5. उन्होंने 21 अगस्त, 1998 को ओम नारायण त्रिपाठी को कार्यभार सौंपा। इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 1 को चयन समिति द्वारा नियुक्ति और

शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था और तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया।

6. अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि इस तरह की नियुक्ति के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 1 को उसका वेतन नहीं दिया गया था, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे रिट याचिका सं. 24957/1999 के रूप में चिन्हित किया गया था। दिनांक 16.06.1999 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्देश दिया कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त पद पर जारी रहने के साथ-साथ उसका बकाया वेतन का भुगतान भी करे।

7. इसके विरूद्ध एक विशेष अपील दायर की गई और उक्त अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया।

8. हालांकि अपीलार्थी के प्राधिकारियों को जो कारण सबसे अच्छी तरह से ज्ञात है, रिट याचिका में कोई जवाबी हल्फनामा दायर नहीं किया गया था। इसलिए, उक्त रिट याचिका को अनुमति दी गई। इसके बाद उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे भी खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ एक विशेष अपील को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि चूंकि अपीलार्थी ने कोई जवाबी हल्फनामा दायर नहीं किया था,

सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 5 के सिद्धांत लागू होंगे और इस प्रकार रिट याचिका में दिए गए सभी कथन स्वीकार्य होंगे।

9. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री श्रीश मिश्रा, का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी को नियमों के प्रावधानों के विपरीत नियुक्त किया गया था, जो अमान्य होने के कारण, विवादित निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है।

10. दूसरी ओर डॉ. जे.एन. दुबे, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा कि न केवल विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मुद्दों को उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, बल्कि इस तथ्य के मद्देनजर भी कि उचित प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी सं. 01 की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. आनंद कंद शुक्ला और प्रत्यर्थी के बीच पिता और पुत्र का संबंध विवादित नहीं है। यह भी निर्विवादित है कि आनंद कंद शुक्ला प्रासंगिक समय पर इस आधार पर अवकश पर चले गए कि उन्हें घुटने में दर्द हो रहा था।

12. हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही करना उचित हो सकता है, लेकिन फिर उसे सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 5 के अंतर्निहित सिद्धांत, ध्यान में रखा जाना चाहिए

था (यह मानते हुए कि सी.पी.सी. के प्रावधान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा सी.पी.सी. की धारा 141 के बावजूद बनाए गए उच्च न्यायालय नियमों के संदर्भ में लागू होते हैं) ना केवल लिखित कथन दाखिल नहीं करने के बावजूद एक न्यायालय वादी को अपना मामला साबित करने के लिए कह सकता है, बल्कि कोई संदेह भी नहीं हो सकता कि उच्च न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कोई राहत विधि के विरूद्ध नहीं दी जा सकती है।

13. जैसा कि बुनियादी मूलभूत तथ्य हमारे सामने स्वीकार किए गए हैं, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। प्रत्यर्थी सं. 1 की नियुक्ति नियमों के नियम 6 में निहित अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अमान्य थी। एक नियुक्ति जो स्वयं अवैध थी, उसे केवल इसलिए वैध बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था क्योंकि अपीलार्थी ने अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया था। इसने प्रत्यर्थी के दावे को स्वीकार नही ंकिया। रिट याचिका में शामिल प्रश्न एक विधि का प्रश्न था। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, मूलभूत तथ्य निर्विवादित है।

14. सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित अभिवचन के नियम कानून के प्रश्न को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई तथ्य भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 56 के अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि ऐसा सवाल कथित तौर पर उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, यह न्यायालय विधिक स्थिति पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। फिर भी केवल इसलिए कि एक अवैधता की गई है, यह न्यायालय इसके अपराध की अनुमति नहीं देगा। प्रत्यर्थी के पिता अस्थाई अवधि के लिए छुट्टी पर थे। इस प्रकार विद्यालय का प्रबंधक बनना बंद नहीं किया। यह स्पष्ट है कि वह केवल वैधानिक प्रावधानों को विफल करने के लिए अवकाश पर चले गए। ऐसा कृत्य प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है।

15. हमारी राय में मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चाहे कानून में हो या साम्यता में, प्रत्यर्थी सं. 1 को प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित होगा।

16. उपरोक्त कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर की गई रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास राम चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।